15 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

राजस्थान सरकार

चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

विधानसभा -अतिआवश्यक

क्रमांकः प.16(3)एम.ई./ग्रुप-1/2018 जयपुर, दिनांक : 26 NOV 2018

प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक,
मेडिकल कॉलेज,
जयपुर।

विषयः- 15 वीं राजस्थान विधानसभा के **तृतीय-सत्र** से संबंधित सूचनायें संकलन व उपलब्ध कराने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि 15 वीं राजस्थान विधानसभा के **तृतीय-सत्र** से संबंधित यथा - प्रातः 10:00 बजे लाटरी से निकलने वाली पर्चिया, स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, विधानसभा प्रश्न पुस्तिका, प्रश्न नियत होने की सूचना उसकी अस्थाई सूची व प्रिन्टेड सूची, पर्ची के माध्यम से होने वाली चर्चा एवं अन्य विभाग से संबंधित सूचनायें इत्यादि विधानसभा सचिवालय से संकलन करने तथा विधानसभा प्रश्नों के उत्तर बनवाने में चिकित्सकीय प्रकरणों में सहायता करने एवं सूचना संकलित करने हेतु मेडिकल कॉलेज, जयपुर के निम्नांकित चिकित्सक शिक्षकों को तुरन्त प्रभाव से नियुक्त किया जाता है :-

1. डॉ. मनीष कुमार, सहायक आचार्य, माईक्रोबायोलोजी विभाग, प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, जयपुर।
2. डॉ. अभिषेक सैनी, सह आचार्य, फिजियोलाजी विभाग, प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, जयपुर।
3. डॉ. शिवांकन ककक्ड़, वरिष्ठ प्रदर्शक, फार्माकोलोजी विभाग, प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, जयपुर।
4. डॉ. सुधाकर शर्मा, वरिष्ठ प्रदर्शक, पीएसएम विभाग, प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, जयपुर।

उक्त चिकित्सक शिक्षक संकलित सूचना उसी-दिन शासन सचिव महोदय (चि.शि.) शिक्षा, शासन उप सचिव महोदय (चि.शि.) व अद्योहस्ताक्षरकर्ता तथा अतिरिक्त निदेशक, निदेशालय चिकित्सा शिक्षा को उपलब्ध करायेंगे। विधानसभा सत्र के दौरान विधानसभा कार्य से सम्बंधित किसी भी चिकित्सक/कार्मिक को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायें।

भवदीय,

26.XI.18

(आर.एन.शर्मा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. अतिरिक्त निदेशक, निदेशालय चिकित्सा शिक्षा, जयपुर।
2. संबंधित चिकित्सक शिक्षकों को मार्फत प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, जयपुर को पालनार्थ।
3. ए.सी.पी. चिकित्सा शिक्षा को विभागीय वेब-साईट पर अपलोड़ किये जाने हेतु प्रेषित है।
4. रक्षित पत्रावली।

(शिव शंकर अग्रवाल)
सहायक शासन सचिव